क्रम संख्या–38 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 03 अप्रैल, 2023 ई0

चैत्र 13, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 132/XXXVI (3)/2023/76(1)/2022

देहरादून, 03 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2022' पर दिनांक 31 मार्च, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 06, वर्ष–2023 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2023)

उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम, 2003 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम में संशोधन

2. उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में "उत्तरांचल" शब्द के स्थान पर जहाँ–जहाँ वे आते हैं, "उत्तराखण्ड" शब्द रखा जायेगा।

धारा 4 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

"मछलियों की बिक्री को निषेध करने का अधिकार"

4. राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निषेध कर सकती है कि किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में, जो इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किये जायें, कोई ऐसी मछली बिक्री या अदला–बदली के लिये प्रस्तुत या प्रदर्शित न की जाय जो इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करके पकड़ी अथवा मारी गई हो।

धारा 5 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

"दण्ड"

5. धारा 3 के अधीन बनाये गये किसी नियम का या किसी ऐसे निषेध का उल्लंघन करने पर जिसके सम्बन्ध में, धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति निकाली गई हों, निम्नलिखित दण्ड दिया जायेगा–

(i) प्रथम बार के उल्लंघन करने पर पांच सौ रूपये तक का अर्थदण्ड, और

(ii) पश्चात्वर्ती प्रत्येक बार उल्लंघन करने पर एक हजार रूपये तक का अर्थदण्ड।

धारा 6 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

"विस्फोटकों द्वारा मछली विनाश पर दण्ड"

6. (1) यदि कोई व्यक्ति विस्फोटकों के प्रयोग से, किसी जल क्षेत्र में किसी मछली को मारता, पकड़ता या नष्ट करता है, पहली बार दण्डनीय घोषित होने पर "रूपये दो हजार न्यूनतम" तथा उक्त के अतिरिक्त "अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि इस प्रकार से विहित होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय", का अर्थदण्ड।

(2) जो कोई पहले ही उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया हो, उसी अपराध के लिये फिर से दोषसिद्ध होने पर, प्रत्येक पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर जुर्माना जो कि "रूपये दो हजार न्यूनतम" तथा उक्त के अतिरिक्त "अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि इस प्रकार से विहित होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय", का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

(3) यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में नदी, जलधारा, खड्ड, तालाब, झील, जलाशय जो मछली के निवास स्थल हैं, के निकट बारूद या विस्फोटक पदार्थ, जो मछली मारने में प्रयोग हो सकते हैं पाये जाये, तो जब तक वह ऐसे बारूद या विस्फोटक पदार्थ को कब्जे में विधिपूर्ण उद्देश्य से रखने का संतोषप्रद स्पष्टीकरण न दे सके तो वह जुर्माना जो "अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि इस प्रकार विहित होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय" का हो सकेगा से दण्डनीय होगा।

धारा 7 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

"जहर द्वारा मछली विनाश पर दण्ड"

(2) यदि कोई व्यक्ति उस ऋतु के दौरान जिसमें मछली मारना या पकड़ना धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अधीन बनायें गये नियम द्वारा निषिद्ध है, जाल से मछली मारता या पकड़ता है तो वह जुर्माना से जो "अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि इस प्रकार विहित होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय" का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

आज्ञा से,

शमशेर अली,
अपर सचिव।

'कारण एवं उद्देश्य'

राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में मत्स्य पालन की व्यवस्था तथा तद्सम्बन्धी विषयों के लिये उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003 प्रख्यापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता (competitiveness) में सुधार लाने और नियामक ढांचे को सरल बनाने के लिये नियामक अनुपालन बोझ (regulatory compliance burden) को कम करने और गैर–अपराधीकरण के लिये की गयी पहल के दृष्टिगत जिन प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत फर्म/व्यवसाय/नागरिक के विरूद्ध आपराधिक प्रक्रियाएं एवं मुकदमें पंजीकृत किये जाते हैं, को Decriminalize किया जाना है। अतः भारत सरकार के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003 की कतिपय धाराओं यथा–धारा–4, धारा–5, धारा–6 एवं धारा–7 की उपधारा–2 में से कारावास के दण्ड का प्रावधान विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।

2– प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

सौरभ बहुगुणा
मंत्री